अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मुरलीपुर

राजेश्वर बनाम लोकेन्द्र कान्त वगैरह

मिसल मुकदमा प्रा०पत्र 212 रा०म० नं. 67 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.7.21	वकील प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०म० के तहत पेश किया गया हमने वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली में संलग्न रसीदबेगी फिमाई का अवलोकन किया जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अभिभाषक विपक्षी अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त आदेश से जारी की जाती है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/0.2800, 566/0.1800, 97/0.0100, 98/0.1600, 1022/0.0800, 1023/0.0900, 1025/0.0600, 1031/0.1600, 1032/0.1100, 1034/0.1200, 1141/0.1600, 1181/0.1800, 1204/0.0800, 1207/0.3200, 1250/0.0800, 1258/0.1800, 1305/0.5300, 1307/0.5500, 1318/0.8800, 254/0.0600, 668/0.0800, 68/0.3200, 70/0.3200, 1145/0.5400, 1145/0.0700, 1160/0.1000, 1163/0.5300, 1210/0.2300, 1212/0.1800, 1225/0.1500, 1255/0.1700, 1261/0.2100, 1274/0.3300, 257/0.2800, 40/0.3600, 624/0.0800 हे० के ग्राम में होना तहत मुकदमा की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखेंगे यदि उक्त आज्ञा बाबत कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 24.8.21 को न्यायालय हाजिर में उज्र पेश करें। प्रा०पत्र रजिस्टर्ड होकर तथा जरिये राज० Ad. जारीकर्ता तथा उक्त प्रमाण के साथ प्रा०पत्र आई अनवर देवेन्द्र व० राजेश्वर न्यायालय हाजिर के पूर्व आज दि० नोटिस को पेश किया गया तथा उक्त दोनों प्रार्थना के समान पक्ष कारण एवं समान आराजीयात होने के कारण उक्त प्रकरण अनवर देवेन्द्र व० राजेश्वर के साथ कन्सोलीडेट किया जाकर पत्रावली सलग्न होकर दिनांक 24.8.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुरलीपुर (जयपुर)